

05/12/20

C.No. 120/22 कानाराम प/स महावीर

वकील वादीकी ओरले एन एच पर वामन पत्रावली को नियत तिथी से पूर्व तलब किये जाने बाबत पेश किया गया जिसपर वकील वादी को सुना गया तथा पत्रावली नियत तिथी से पूर्व तलब की गयी वकील वादी ने ~~निवेदन~~ धरिये शर्जीनामा एच पर के प्रिवेडन किया कि हात्तए उकरण मे वादी एवं उत्तिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से शर्जीनामा

कानाराम
NOT PRESS BY ME
05/12/20




तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
नम्बर
जो
की
जारी

C.No. 120/2022 कानाराम v/s महावीर

ये युक्त है, वे अब परस्पर कोई भी कार्यवाही
नहीं चाहते हैं अतः श्रीमान से मिशन है कि प्रकरण
को राजीनामे में खारिज करने की कृपा करें।
हमारे द्वारा वकील वादी को सुना गया। राजीनामा
की सहमति से वादी द्वारा दस्तावेज अंकन किने गये
तथा वकील वादी द्वारा आदेशिका पर Not possible
अंकन किया गया। अतः वादी का वाड ही फाट
पर राजीनामे के आधार पर खारिज किया जाना
है प्रवावली पेंसल सुमार होकर नम्बर के कम


उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)